पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु विड्स मैनुअल–2023 के अनुसार मौसम के आंकड़े प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध डाटा कम्पनियों से मौसम केन्द्र एवं ARG स्थापना किये जाने हेतु सीमित निविदा की शर्ते

1. सीमित निविदा हेतु डाटा कम्पनियों को निविदा शुल्क रू0 1000.00 + 18 प्रतिशत GST = रू0 1180.00 (GST सहित) का बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड के नाम से क्रय किया गया हो व रानीखेत की शाखा में देय होना चाहिए, की मूल प्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
2. जिस क्लस्टर के लिए डाटा कम्पनी एल–1 होगी, उस क्लस्टर हेतु निर्गत आदेश की धनराशि का 03 प्रतिशत परफोरमेन्स सिक्योरिटी (Performance Security) के रूप में एक सप्ताह के अन्दर बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0, जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड, चौबटिया, रानीखेत के नाम बन्धक हों, निदेशालय, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत में जमा करना अनिवार्य होगा।
3. प्रदेश में वर्तमान में 04 कलस्टरों (क्लस्टर 1–अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, क्लस्टर 2– नैनीताल, चम्पावत, ऊधमसिंहनगर, क्लस्टर 3–देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, क्लस्टर 4–रूद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी) के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है (वर्तमान में विभाग के सहयोग से स्थापित/संचालित मौसम केन्द्रों की सूची संलग्न है)।
4. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध कम्पनियों को प्रत्येक क्लस्टर हेतु पृथक–पृथक दरें उपलब्ध करानी होंगी। यदि प्रतिभागी कम्पनी द्वारा समस्त 04 कलस्टरों हेतु दरें प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा क्लस्टरवार उपलब्ध करायी गयी न्यूनतम दर (एल–1) के आधार पर क्लस्टवार चयन किया जायेगा।
6. उत्तराखण्ड के परिपेक्ष्य में डाटा कम्पनी के कार्यालय का पूरा पता, नोडल अधिकारी का नाम, सम्पर्क, ई–मेल, सीलबन्द लिफाफा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकार पत्र लिफाफे के साथ संलग्न करना होगा।
7. प्रतिभागी डाटा कम्पनी को किसी भी राज्य के ब्लैक लिस्टेड नहीं है, का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
8. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध डाटा कम्पनियों को भारत सरकार में पंजीकरण/नवीनीकरण की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. भारत सरकार के दिशा–निर्देश के पैरा 17.2 के अनुसार विभाग एवं चयनित डाटा कम्पनी के बीच अनुबन्ध मौसम रबी–2024 से आगामी 05 वर्षों के लिए होगा। कार्यान्वयन एजेन्सी/कम्पनी द्वारा संतोषजनक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा जारी विंड्स मैनुअल के आधार पर कार्य अवधि को अधिकतम 02 वर्षों तक विस्तारित किया जा सकता है।
10. डाटा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत समस्त अभिलेखों पर डाटा कम्पनी के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर होनी अनिवार्य है।
11. सीमित निविदा आमंत्रण हेतु निविदा डाक्यूमेन्ट सूचीबद्ध डाटा कम्पनियों को ई–मेल द्वारा भेजा जायेगा। ई–मेल से कोटेशन डाक्यूमैन्ट प्राप्त नही होते है, तो कार्यालय–बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून से किसी भी कार्य दिवस में डाक्यूमेंट प्राप्त किया जा सकता है।

12. किसी भी विवाद की स्थिति में भारत सरकार के मार्ग–निर्देशों के अनुसार निदेशक, उद्यान को कार्यवाही करने/निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. विड्स मैनुअल–2023 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में तैयार सीमित निविदा डाक्यूमेंट संलग्न है, जिसके अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचीबद्व डाटा कम्पनियों द्वारा समस्त शर्तों को पूर्ण करते हुए सीमित निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि/समय/स्थान पर जमा करना अनिवार्य होगा।

14. मौसम आकड़ों के त्रुटिपूर्ण एवं गलत डाटा अथवा डाटा उपलब्ध नहीं होने की दशा में अर्थदण्ड (Penalty) विण्ड्स मैनुअल–2023 के अनुसार होगा।

15. भारत सरकार की वेबसाईट पर (Data uploading/maintenence) का कार्य सम्बन्धित डाटा कम्पनियों द्वारा ही किया जायेगा।

16. डाटा कम्पनियों द्वारा विड्स के तहत् संचालित किये जाने वाले मौसम केन्द्रों के सत्यापन हेतु विभागीय जनपदीय अधिकारियों/प्रतिनिधियों को पूर्ण सहयोग करना होगा।

17. राज्य सरकार की आवश्यकतानुसार WINDS Data सम्बन्धी सूचना डाटा कम्पनियों को ससमय निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी।

18. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा आयोजित समय–समय पर होने वाली बैठकों में कार्यान्वयन डाटा कम्पनियों को आमन्त्रित करने पर उन्हें भौतिक रूप से आवश्यक रूप से प्रतिभाग करना होगा।

19. भारत/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों इत्यादि का चयनित डाटा कम्पनियों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

20. क्षेत्र में स्थापित स्वचालित मौसम केन्द्रों (AWS) का रखरखाव एवं खराब होने पर मरम्मत आदि का दायित्व चयनित डाटा कम्पनियों का होगा।

21. वर्तमान में पूर्व शासनादेशानुसार डाटा कम्पनियों द्वारा 118 मौसम केन्द्रों से डाटा प्राप्त किया जा रहा है। WINDS के तहत चयनित क्रियान्वयन डाटा कम्पनियों द्वारा प्रथम चरण में वर्तमान में 118 मौसम केन्द्र स्थापित करने होगें। 118 मौसम केन्द्र पूर्ण होने के बाद विंडस मैनुअल के अनुसार **विकासखण्ड स्तर पर स्वचालित मौसम केन्द्रों (AWS) की स्थापना, ग्राम पंचायत स्तर पर 7185 स्वचालित वर्षामापी यन्त्रों (ARG) की स्थापना** एवं **ग्राम पंचायत स्तर पर 797 स्वचालित वर्षामापी यन्त्रों (ARG), तापमान, आर्द्रता (10% of ARG) की स्थापना** करनी होगी।

22. चयनित डाटा कम्पनियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले मौसम केन्द्रों की सुरक्षा हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम प्रधान एवं प्रभारी, उद्यान सचल दल केन्द्र व चयनित डाटा कम्पनियों के सहयोग से किया जायेगा।

23. चयनित डाटा कम्पनियों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

24. सीमित निविदा के माध्यम से चयनित WINDS Implementation Partner(s) को विड्स मैनुअल–2023 का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा तथा सीमित निविदा से सम्बन्धित शेष शर्ते विड्स मैनुअल–2023 के अनुसार मान्य होंगी।

****